



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-09042022-235006
CG-MH-E-09042022-235006

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1647]

No. 1647]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 8, 2022/चैत्र 18, 1944

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 8, 2022/CHAITRA 18, 1944

रेल मंत्रालय

(पश्चिम रेलवे)

अधिसूचना

मुम्बई, 8 अप्रैल, 2022

का.आ. 1730(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेलवे (अमेण्डमेंट) अधिनियम, २००८, की धारा 2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लेखित उपखंड स्तम्भ (4), में उल्लेखित जिलों के सम्बंध में मध्य प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना के संदर्भ में दाहोद - इंदौर नई बड़ी लाइन वाया झाबुआ, सरदारपुर, धार एवं पीथमपुर (204.76 कि.मी.) के लिए भूमि अधिग्रहण के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्रम सं.	सक्षम अधिकारी	उपखंड	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धार	धार	धार
2	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरदारपुर	सरदारपुर	धार

[फा.सं. ई आफिस—(E-274536-1)]
महावीर सिंह, मुख्य अभियंता (निर्माण) IV

MINISTRY OF RAILWAYS

(Western Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 8th April, 2022

S.O. 1730(E).— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways (Amendment) Act-2008, the Central Government hereby authorizes the officers nominated in in column (2) of the Table below as “Competent Authority” to perform the function as such authority under the said act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette in respect of the Special Railway Project of “New BG Line Project from Dahod-Indore via Jhabua, Sardarpur, Dhar & Pithampur (204.76 Km.) in the Dhar district in the State of Madhya Pradesh relating to Sub- Divisions mentioned in Column (3) Districts mentioned in Column (4) of the said table for the public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Project.

TABLE

S.No.	Competent Authority	Sub Division	District
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sub-Divisional Officer (Revenue) Dhar	Dhar	Dhar
2	Sub-Divisional Officer (Revenue) Sardarpur	Sardarpur	Dhar

[F. No. E-Office E-274536-1]
MAHAVIR SINGH, Chief Engineer /Construction-IV